राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 1658 / 2017
कृष्णगोपाल उर्फ भूरा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक : 04.04.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री एस एस हसन व श्री राजेन्द्र यादव, अधिवक्तागण– याचीगण की ओर से।
श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, लोक अभियोजक।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण श्री एस एस हसन ने निवेदन किया है कि याची संख्या–1 की पत्नी वीनू गौतम ने अयाची संख्या–2 परिवादी जिसका कि दूसरा नाम गुड्डु जैन है, के विरूद्ध दिनांक 21.10.2016 को पुलिस थाना मण्डाना, जला–कोटा ग्रामीण में धारा 354 तथा 452 भा.दं.सं. के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके काउण्टर ब्लास्ट में अयाची संख्या–2 परिवादी ने आलोच्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256 / 2016 पुलिस थाना मोडक, जिला–कोटा ग्रामीण में दिनांक 07.11.2016 को धारा 420, 406 तथा 120बी भा.दं.सं. में मिथ्या तथ्यों के आधार पर दर्ज करायी है। अतः आलोच्य प्रथम सूचना रिपोर्ट एनेक्सर–1 को निरस्त किया जावे।

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी हो।

अयाची संख्या–1 का नोटिस लोक अभियोजक श्री जीतेन्द्र श्रीमाली ने प्राप्त किया।

अयाची संख्या–2 का नोटिस पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण को चार सप्ताह में वापिसी योग्य तामील हेतु जारी किया जावे।

प्रकरण चार सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक याचीगण के विरूद्ध कोई Coercive Step नहीं लिया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल / 138